न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

14/8/24

मु0न0:– 63/2021

उनवानः– भरतलाल बनाम गिलासी वगै0

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि, सायलान व गैरसायलान न0 1 व 2 तथा मूलवाद के प्रतिवादी न0 2 ता 4 व 7 ता 61 के मध्य सहूलियत के हिसाब से मौके पर बाहमी बटवारा कर रखा है। सायलान के बाहमी बटवारे मे आयी आराजी से गैरसायलान तथा मूलवाद के प्रतिवादीगण का कोई संबध किसी प्रकार का नही है।तथा उसी अनुसार अपने–अपने हिस्से को काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन गैरसायल न0 1 व 2 का पुत्र मुकट सायलान के हिस्से की आराजी को जबरन कब्जा करने की फिराक से नाकाबिल काश्त करने के उद्देश्य से सायलान के हिस्से व कब्जे मे सायलान की कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा कर रहा है। जिसका इस्तगासा थाना बालघाट मे पेश किया जा चुका है। लेकिन थानाधिकारी बालघाट द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही नही किये जाने से गैरसायलान उक्त आराजीयात मे सायलान के कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा कर रहे है। और सायलान को अपने हिस्से की आराजी को जोतने बोने नही दे रहे है। इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19.08.2021 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जावे।

गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि सायलान द्वारा यह प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य गलत व मनगडंत पेश किये है। सायलान का गैरसायलान की भूमि से किसी प्रकार का संबध नही है गैरसायलान अपनी खातेदारी के मुताबिक अपनी भूमि को काश्त कर रहे है।सायलान ने गैरसायलान के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रखे है। सायलान के अनावश्यक ही यह प्रार्थना पत्र पेश किया है सायलान का प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन साबित नही होने से सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता न0 85, 82, 59, 83, 84, 118, 167, 168, मे सायलान व गैरसायलान तथा मूलवाद के प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी मे लगे अंतरण नोट अनुसार वर्णित आराजीयात मे मु0न0 28/19 अनुसार स्थगन के नोट का अंकन है। वर्णित आराजीयात मे सायलान व गैरसायलान सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। और न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19.08.2021 अनुसार उभयपक्ष को पाबन्द किया गया है। इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान को पाबन्द करते हुये स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19.08.2021 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है। अर्थात प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे सायलान व गैरसायलान को ता दावा फैसला जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष वर्णित आराजीयात मे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा[illegible] कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:12:07 IST
Reason: SelfAttested